न्यायालय भूमि सुधार उप– समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 23/2021–22

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1 10/6/22	आवेदक जुनुल सुरीन, पिता स्व0 सोसन सुरीन जाति मुण्डा ग्राम टिटिही थाना – कामडारा, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। **भूमि का विवरणी।** राजस्व ग्राम: टिटिही; थाना सं0: 36; खाता सं0: 76; प्लॉट सं0: 11; रकबा: 1.86 एकड़ में से 0.07 एकड़; जमीन किस्म: — **कुल 0.07 एकड़ (सात डिसमील)** **प्लॉट सं0 11 का चौहदी :–** उत्तर – टांड टुडा पहान, दक्षिण – टांड नीज बिक्रेता, पूरब – नीज बिक्रेता, पश्चिम – टांड बराहा पहान। **जमीन विक्रेता का विवरणी** (1) जुनुल सुरीन, पिता स्व0 सोसन सुरीन जाति मुण्डा ग्राम टिटिही, थाना कामडारा जिला–गुमला **जमीन क्रेता का विवरणी** नपताली बरला, पिता अलफ्रेड बरला जाति – मुण्डा, ग्राम– पकरा, थाना – कामडारा जिला गुमला । आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता नपताली बरला, पिता अलफ्रेड बरला, जाति – मुण्डा, ग्राम– पकरा थाना – कामडारा जिला– गुमला से राशि 70,000(सतर हजार) रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, कामडारा को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी,	

भूमि का विवरणी।

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म
टिटिही	36	76	11	1.86 एकड़ में से 0.07 एकड़	

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला) सत्यमेव जयते

	कामडारा के कार्यालय के पत्रांक 21 दिनांक 25/04/2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास प्रर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है। अतः अंचल अधिकारी, कामडारा के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक (1) जुनुल सुरीन, पिता स्व0 सोसन सुरीन जाति मुण्डा ग्राम टिटिही थाना – कामडारा जिला–गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 70,000 (सतर हजार) रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता बसिया (गुमला)। भूमि सुधार उप – समाहर्त्ता बसिया (गुमला)। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)	

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.16 15:04:32 +05:30
Location: 192.168.1.10